भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1968

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जीएम खाद्य पदार्थ

1968. श्री सुधाकर सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएसएआई) के अंतर्गत आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) खाद्य पदार्थों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अधिसूचित नियम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जीएम खाद्य पदार्थों जैसे कपास के बीज के तेल, जो कई वर्षों से देश में खाद्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचा रहे हैं, के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) खाद्य मदों को अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 18.11.2022 को खाद्य सुरक्षा और मानक (आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ) विनियम, 2022 के मसौदे को अधिसूचित किया है।

****